अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

(आयोजना प्रकोष्ठ)

क्रमांक/अविप्रा/प.3/नियोजन/2015./ 1617 दिनांक– 14/9/15

श्री सतीश बंसल पुत्र श्रीपी.एल.बंसल,
श्री सूरज अग्रवाल, श्री रमेश अग्रवाल पुत्र श्री पूनमचंद
श्रीमती शैलेष बंसल पत्नि श्री सतीश बंसल, रघुनाथ भवन,
नसियां के सामने, गंज एवं उतार घसेटी, अजमेर

विषयः– ग्राम लोहागल, अजमेर, के खसरा नम्बर 834/1, 834/2, 834/3, 835, 836, 837 में
क्षेत्रफल 3764.72 व.मी.पर आवासीय फ्लेट प्रयोजनार्थ भवन निर्माण स्वीकृति बाबत्।
संदर्भः– आपका आवेदन दिनांक 11.03.2015

महोदय,

भवन नियोजन समिति की बैठक दिनांक 28.04.2015 के प्रस्ताव सं. 3 के संदर्भ में, समिति द्वारा भवन मानचित्र अनुमोदन करने के निर्णय की अनुपालना में, आवासीय (फ्लेट प्रयोजनार्थ) भवन मानचित्र निम्नांकित शर्तों के साथ अनुमोदित किये जाते हैं:–

1. उक्त स्वीकृति राजस्थान भवन विनियम, 2013 (संशोधित) के तहत जारी की गई हैं।
2. लीज डीड की सभी शर्तें लागू होगी।
3. भवन विनियम, 2013 के नियम 14.10 अनुसार उक्त स्वीकृति दिनांक से सात वर्ष के लिए मान्य होगी।
4. उक्त स्वीकृति निम्नानुसार दी गई है :–

(1)	(2)	(3)
क्र.सं.	मानक	राजस्थान भवन विनियम, 2013 (संशोधित)
(I)	सैट बैक्स (न्यूनतम)	
	अग्र	15.24 मी.
	साईड प्रथम	9.14 मी.
	साईड द्वितीय	9.14 मी.
	पीछे	9.14 मी.
(II)	ऊँचाई	30.0 मी. (स्टिल्ट सहित)
(III)	मंजिल	stilt+9(नौ)
(IV)	बेसमेंट	एक
(V)	आच्छादन	31.13%
(VI)	एफ.ए.आर	2.23

5. प्लिन्थ लेवल तक निर्माण पूर्ण होने की सूचना प्राधिकरण को देनी होगी, जिसकी जाँच करवानी होगी। प्लिन्थ लेवल तक निर्माण स्वीकृत मानचित्रों के अनुरूप होने पर ही आगे का निर्माण किया जा सकेगा।
6. सॉलिड वेस्ट, डिस्पोजल के लिए 6 कचरापात्र का प्रावधान आवश्यक होगा, जिसमें 3 पात्र 0.67 क्यूबिक मीटर का नॉन बायोडिग्रेबल तथा 3 पात्र 1.33 क्यूबिक मीटर के बायोडिग्रेबल अपशिष्ट हेतु होगें। इन्हें भूतल पर ऐसे स्थान पर रखा जायेगा जहां से सफाई कर्मचारी द्वारा अथवा केन से आसानी से उठाया जा सके।
7. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जल संरक्षण अधिनियम 1974 एवं वायु संरक्षण अधिनियम 1981, के प्रावधानों क नियमानुसार अनुपालना करनी होगी।
8. नियमानुसार ग्रीनरी तथा प्लान्टेशन आवश्यक रूप से करना होगा।
9. भूखण्ड पर निर्मित किये जाने वाले समस्त आवासों पर अगर किसी भी प्रकार का सर्विस टैक्स अथवा अन्य कोई टैक्स देय होता है तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
10. आपको भूखण्ड में 38 वृक्ष जो 6 मीटर या इससे अधिक की उंचाई ग्रहण कर सकते है, लगाने होगे।
11. परियोजना में से उत्पन्न होने वाले सोलिड एवं लिक्विड वेस्ट का निष्पादन राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा निर्धारित पैरामीटर्स के अनुसार किया जायेगा।
12. वर्षा के पानी द्वारा भू–गर्भ का जल स्तर बढ़ाने हेतु रेनवाटर हार्वेस्टिंग संरचना का निर्माण कानूनन अनिवार्य है।
13. जल के शुद्धीकरण हेतु रीसाईक्लिंग की व्यवस्था करनी होगी। शुद्धीकृत जल का उपयोग बागवानी तथा फ्लेश के उपयोग में लिया जा सकेगा।
14. विद्युत, नलकारी जल एवं मल निकास हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के आवंधों में वर्णित प्रावधानों का पालन आवश्यक होगा।
15. अनुमोदनानुसार सौर ऊर्जा उपकरण सिस्टम मौके पर वास्तव में आप द्वारा लगाया जायेगा।
16. भवन निर्माण में आंतरिक मानदण्ड बाबत् जिन विषयों पर ब्यौरा यहाँ नही दिया गया है, उन बाबत् मानदण्ड नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के उपबंधों के अनुसार होगें।

E:\ADA\suryakant ji\Building Plan\Building plan letter 50 mt above 10-09-2015.doc

For Arnav & Naitik Projects LLP

Designated Partner/Auth.Signatory

17. भवन का संरचनात्मक अभिकल्पन एवं सुरक्षा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के उपबंधों के अनुसार होगा।
18. अग्नि शमन एवं भूकम्परोधी के प्रावधान नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के अनुसार प्रार्थी द्वारा अपने स्तर पर भवन में मौके पर प्रदान करने होंगे एवं अग्निशमन अधिकारी, नगर निगम, अजमेर के अस्थाई अनापत्ति पत्र कमांक: अग्नि/2015/96 दिनांक 08.09.2015 में वर्णित सभी शर्तों की पालना करनी होगी।
19. भवन मालिक द्वारा भवन सिक्यूरिटी अग्नि सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) तैयार एवं प्रदर्शित करना होगा।
20. स्वीकृत प्लान के विरुद्ध निर्माण किये जाने एवं भवन निर्माण में निर्धारित मानदण्डों के उल्लंघन होने पर निर्माण मानक स्तर के अनुरूप नहीं होने पर निर्माण को रोका जाकर, अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1959 की धारा 91 के अन्तर्गत अवैध निर्माण को अ.वि.प्रा. द्वारा ध्वस्त किया जा सकेगा, जिसका समस्त व्यय आपको ही वहन करना होगा।
21. अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर द्वारा निर्माण स्वीकृति को स्वामित्व का आधार नहीं माना जायेगा और न ही इसमें किसी के स्वामित्व संबंधी अधिकार ही प्रभावित होंगे एवं विवादित स्वामित्व की भूमि पर दिये गये निर्माण स्वीकृति के लिए अजमेर विकास प्राधिकरण, जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि निर्माण स्वीकृति केवल मात्र प्रश्नगत भूमि क्या निर्माण किया जा सकता है, अथवा अनुज्ञेय है, यही दर्शाता है।
22. गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त होने के लिए आवेदन कर्त्ता को दोषी माना जायेगा। अजमेर विकास प्राधिकरण, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत् कार्यवाही करने को स्वतंत्र होगा।
23. आवेदक स्वयं की यह जिम्मेदारी होगी कि उनके द्वारा भवन विनियमों के समस्त संबंधित प्रावधानों की पालना भवन निर्माण के दौरान की जा रही है अन्यथा यह स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी।
24. अनुमोदित मानचित्रों में जिस भाग को पार्किंग हेतु अनुमोदित किया है आप द्वारा किसी को बेचा नहीं जावेगा एवं केवल पार्किंग हेतु उपयोग में लिया जावेगा। इसका पार्किंग के अलावा अन्य उपयोग पाने पर अजमेर विकास प्राधिकरण बिना किसी सूचना के तोडने का हकदार होगा एवं तोडने का हर्जा खर्चा जिस व्यक्ति ने पार्किंग के अलावा उपयोग किया है से वसूला जा सकता है। उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर अजमेर विकास प्राधिकरण हर्जा खर्चा वसूलने एवं अन्य दण्डात्मक कार्यवाही जैसे आर्थिक दण्ड दे सकता है एवं आप देने के लिए बाध्य रहेंगें।
25. प्रार्थी अनुमोदित मानचित्रों के साथ ही वास्तुविद, भवन मालिक व ठेकेदार का नाम भी अंकित करेगा। यदि भवन निर्माण के समय मौके पर उक्त वर्णित प्रदर्शित (डिस्प्ले) नहीं है तो संबंधित जोन उपायुक्त द्वारा निर्माण कार्य तुरंत प्रभाव से रूकवा दिया जायेगा।
26. भवन मालिक द्वारा भवन का उपयोग प्रारंभ होने पर एक केयरटेकर की नियुक्ति की जायेगी जिसके पास बिल्डिंग का नक्शा, सुरक्षा एवं निकास (Escape Plan) उपलब्ध रहे। इस प्रकार नियुक्त केयर टेकर का मोबाईल नम्बर एवं Land Line Number भी लिये जाकर पुलिस आयुक्त, अजमेर व अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचना उपलब्ध करवायी जायेगी ताकि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में बचाव कार्य प्रभावी रूप से किया जा सके।
27. कम्प्लीशन सर्टीफिकेट प्राप्त करना अनिवार्य होगा, उसके पश्चात ही जल, विद्युत कनेक्शन स्थाई रूप से दिये जा सकेंगे।

संलग्न:– भवन मानचित्र का एक सैट
(कुल .....मानचित्र)

आयुक्त
अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. उपायुक्त, (उत्तर जोन /दक्षिण जोन/पुष्कर/किशनगढ) अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर को अनुमोदित भवन मानचित्रों का एक सैट संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। कृपया सुनिश्चित करे कि भवन निर्माण अनुमोदित मानचित्रों के अनुसार हों।
2. कनिष्ठ अभियंता (क्षेत्राधिकार अनुसार), अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि यह सुनिश्चित करे कि मौके पर निमार्ण स्वीकृत मानचित्र अनुसार ही किया जाये।
3. अग्निशमन अधिकारी, नगर निगम, अजमेर।

संलग्न :– भवन मानचित्र का एक सैट
(कुल ....मानचित्र)

उपायुक्त
अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

E:\ADA\suryakant ji\Building Plan\Building plan letter 50 mt above 10-09-2015.doc

For Arnav & Naitik Projects LLP

Designated Partner/Auth.Signatory

SHEET NO-08

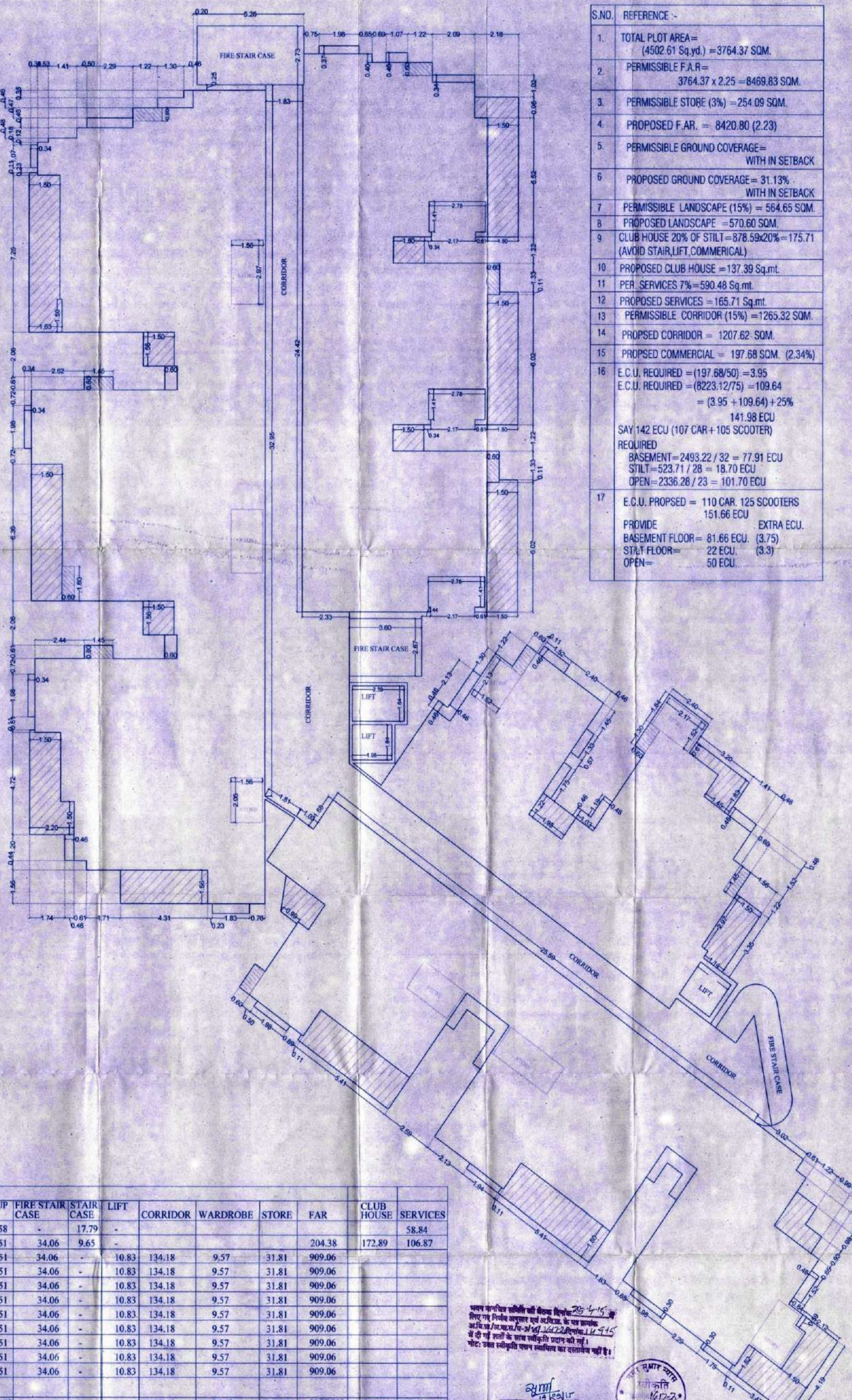

S.NO.	REFERENCE :-
1.	TOTAL PLOT AREA= (4502.61 Sq.yd.) =3764.37 SQM.
2.	PERMISSIBLE F.A.R= 3764.37 x 2.25 =8469.83 SQM.
3.	PERMISSIBLE STORE (3%) =254.09 SQM.
4.	PROPOSED F.AR. = 8420.80 (2.23)
5.	PERMISSIBLE GROUND COVERAGE= WITH IN SETBACK
6	PROPOSED GROUND COVERAGE= 31.13% WITH IN SETBACK
7	PERMISSIBLE LANDSCAPE (15%) = 564.65 SQM.
8	PROPOSED LANDSCAPE =570.60 SQM.
9	CLUB HOUSE 20% OF STILT=878.59x20%=175.71 (AVOID STAIR,LIFT,COMMERICAL)
10	PROPOSED CLUB HOUSE =137.39 Sq.mt.
11	PER. SERVICES 7%=590.48 Sq.mt.
12	PROPOSED SERVICES =165.71 Sq.mt.
13	PERMISSIBLE CORRIDOR (15%) =1265.32 SQM.
14	PROPSED CORRIDOR = 1207.62 SQM.
15	PROPSED COMMERCIAL = 197.68 SQM. (2.34%)
16	E.C.U. REQUIRED =(197.68/50) =3.95 E.C.U. REQUIRED =(8223.12/75) =109.64 = (3.95 +109.64)+25% 141.98 ECU SAY 142 ECU (107 CAR+105 SCOOTER) REQUIRED BASEMENT=2493.22 / 32 = 77.91 ECU STILT=523.71 / 28 = 18.70 ECU OPEN=2336.28 / 23 = 101.70 ECU
17	E.C.U. PROPSED = 110 CAR. 125 SCOOTERS 151.66 ECU PROVIDE EXTRA ECU. BASEMENT FLOOR= 81.66 ECU. (3.75) STILT FLOOR= 22 ECU. (3.3) OPEN= 50 ECU.

AREA CALCULATION (AREA IN SQ. MTR.)

S.NO.	FLOOR	GROSS BUILTUP	BALCONY	CHAJJA	BUILTUP AREA	FIRE STAIR CASE	STAIR CASE	LIFT	CORRIDOR	WARDROBE	STORE	FAR	CLUB HOUSE	SERVICES
1	BASEMENT	2806.58	-	-	2806.58	-	17.79	-						58.84
2	STILT	1129.51	-	-	1129.51	34.06	9.65	-				204.38	172.89	106.87
3	FIRST	1271.30	120.06	21.73	1129.51	34.06	-	10.83	134.18	9.57	31.81	909.06		
4	SECOND	1271.30	120.06	21.73	1129.51	34.06	-	10.83	134.18	9.57	31.81	909.06		
5	THIRD	1271.30	120.06	21.73	1129.51	34.06	-	10.83	134.18	9.57	31.81	909.06		
6	FORTH	1271.30	120.06	21.73	1129.51	34.06	-	10.83	134.18	9.57	31.81	909.06		
7	FIFTH	1271.30	120.06	21.73	1129.51	34.06	-	10.83	134.18	9.57	31.81	909.06		
8	SIXTH	1271.30	120.06	21.73	1129.51	34.06	-	10.83	134.18	9.57	31.81	909.06		
9	SEVENTH	1271.30	120.06	21.73	1129.51	34.06	-	10.83	134.18	9.57	31.81	909.06		
10	EIGHTH	1271.30	120.06	21.73	1129.51	34.06	-	10.83	134.18	9.57	31.81	909.06		
11	NINTH	1271.30	120.06	21.73	1129.51	34.06	-	10.83	134.18	9.57	31.81	909.06		
12	MUMTY/ STAIR	100			100									
13	TOTAL	15477.80			14201.70				1207.62	86.13	286.29	8385.92	172.89	165.71
									ADD EXTRA STORE =-34.71 NET F.A.R. = (8385.92+34.71)=8420.63 Sq.mt.					

भवन मानचित्र समिति की बैठक दिनांक 26-4-15 में लिए गए निर्णय अनुसार एवं अवि.प्रा. के पत्र क्रमांक अ.वि.प्रा./अ.न.नि./प-3/14/1617-2 दिनांक 14-9-15 में दी गई शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की गई।
नोट: उक्त स्वीकृति [illegible] स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है।

सहायक नगर नियोजक
अ.वि. प्राधिकरण, अजमेर

स्वीकृति
16172
14-9-2

निदेशक (आयोजना)

उपायुक्त

SCALE = 1:100

PROJECT :- LAYOUT PLAN OF RESIDENTIAL PLOTS ON KHASARA NO. 834,835 & 836 REVENUE VILLAGE LOHAGAL, AJMER. (RAJ.) PUT UP BY :- SHRI SATISH BANSAL S/o P.L BANSAL , SHRI SURAJ AGARWAL , RAMESH KUAMR AGARWAL S/o DR. PUNAM CHAND , SHRI SAILESH BANSAL W/o SHRI SATISH BANSAL .

OWNER

ARCHITECT :- SPACE GRID
C-49,VIDYA APPT.,BAPU NAGR,
JAIPUR.PH-09314918766,09314510603

SHRI KRISHAN
ARCHITECT
CA/99/2545

BASEMENT FLOOR PLAN

भवन मानचित्र समिति की बैठक दिनांक 29-4-15 में लिए गए निर्णय अनुसार एवं अ.वि.प्रा. के पत्र क्रमांक अ.वि.प्रा./अ.मा.स./प-3/ 1612-24 दिनांक 14-5-15 में दी गई शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की गई।
नोट: उक्त स्वीकृति प्लान स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है।

SHEET NO-01

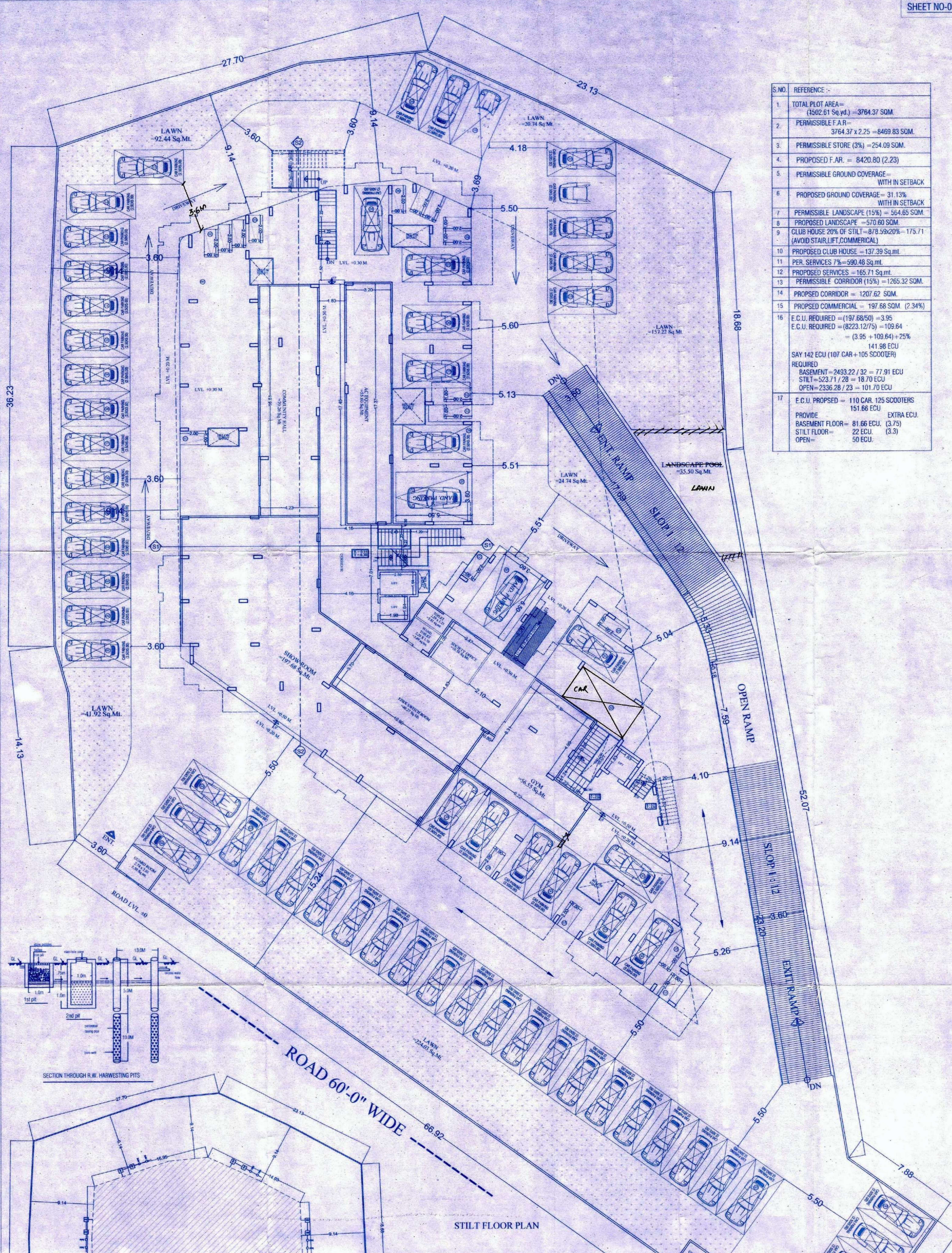

STILT FLOOR PLAN

S.NO.	REFERENCE :-
1.	TOTAL PLOT AREA= (4502.61 Sq.yd.) =3764.37 SQM.
2.	PERMISSIBLE F.A.R= 3764.37 x 2.25 =8469.83 SQM.
3.	PERMISSIBLE STORE (3%) =254.09 SQM.
4.	PROPOSED F.AR. = 8420.80 (2.23)
5.	PERMISSIBLE GROUND COVERAGE= WITH IN SETBACK
6	PROPOSED GROUND COVERAGE= 31.13% WITH IN SETBACK
7	PERMISSIBLE LANDSCAPE (15%) = 564.65 SQM.
8	PROPOSED LANDSCAPE =570.60 SQM.
9	CLUB HOUSE 20% OF STILT=878.59x20%=175.71 (AVOID STAIR,LIFT,COMMERICAL)
10	PROPOSED CLUB HOUSE =137.39 Sq.mt.
11	PER. SERVICES 7%=590.48 Sq.mt.
12	PROPOSED SERVICES =165.71 Sq.mt.
13	PERMISSIBLE CORRIDOR (15%) =1265.32 SQM.
14	PROPSED CORRIDOR = 1207.62 SQM.
15	PROPSED COMMERCIAL = 197.68 SQM. (2.34%)
16	E.C.U. REQUIRED =(197.68/50) =3.95 E.C.U. REQUIRED =(8223.12/75) =109.64 = (3.95 +109.64)+25% 141.98 ECU SAY 142 ECU (107 CAR+105 SCOOTER) REQUIRED BASEMENT=2493.22 / 32 = 77.91 ECU STILT=523.71 / 28 = 18.70 ECU OPEN=2336.28 / 23 = 101.70 ECU
17	E.C.U. PROPSED = 110 CAR. 125 SCOOTERS 151.66 ECU PROVIDE EXTRA ECU. BASEMENT FLOOR= 81.66 ECU. (3.75) STILT FLOOR= 22 ECU. (3.3) OPEN= 50 ECU.

SECTION THROUGH R.W. HARVESTING PITS

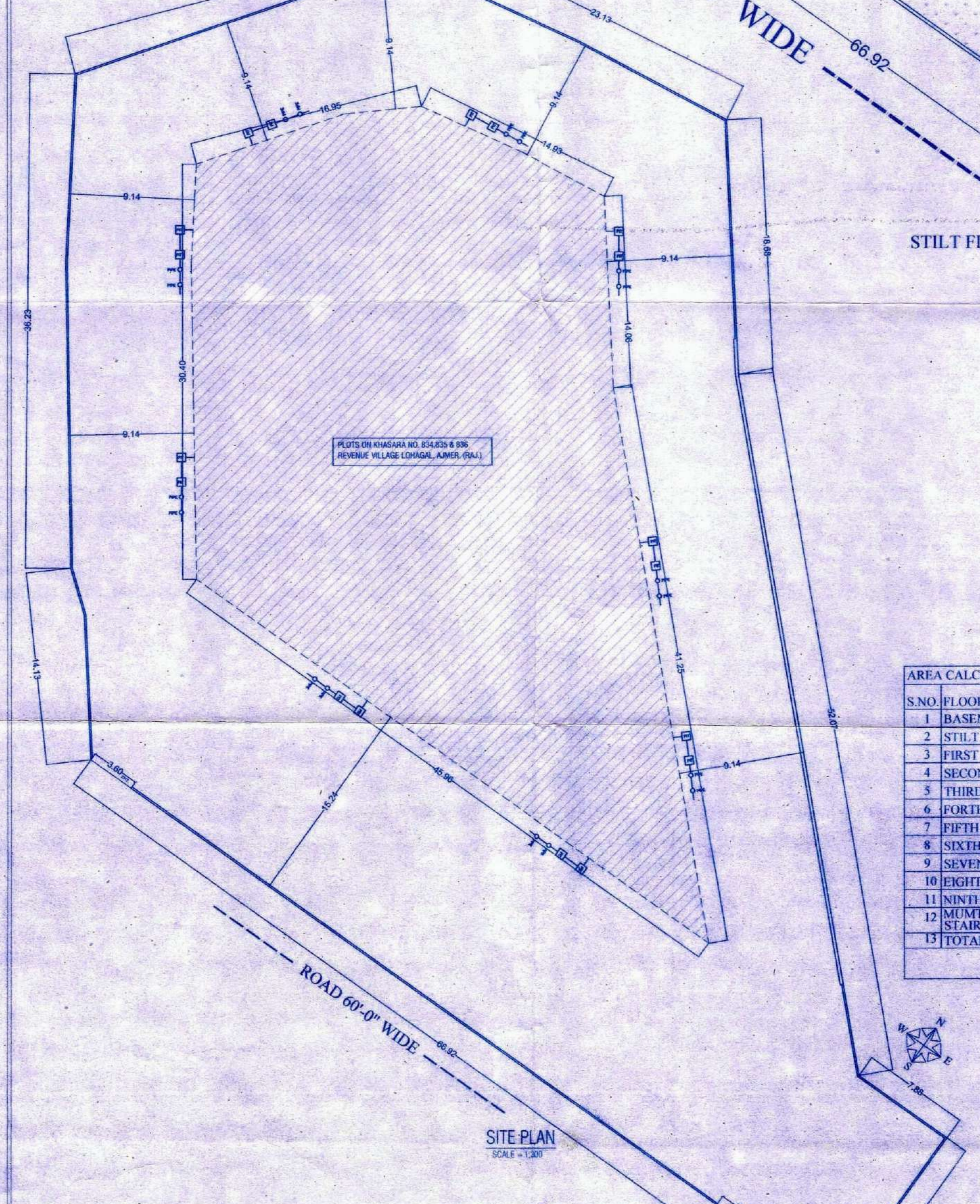

SITE PLAN
SCALE = 1:300

AREA CALCULATION (AREA IN SQ. MTR.)

S.NO.	FLOOR	GROSS BUILTUP	BALCONY	CHAJJA	BUILTUP AREA	FIRE STAIR CASE	STAIR CASE	LIFT	CORRIDOR	WARDROBE	STORE	FAR	CLUB HOUSE	SERVICES
1	BASEMENT	2806.58	-	-	2806.58	-	17.79	-						58.84
2	STILT	1129.51	-	-	1129.51	34.06	9.65	-				204.38	172.89	106.87
3	FIRST	1271.30	120.06	21.73	1129.51	34.06	-	10.83	134.18	9.57	31.81	909.06		
4	SECOND	1271.30	120.06	21.73	1129.51	34.06	-	10.83	134.18	9.57	31.81	909.06		
5	THIRD	1271.30	120.06	21.73	1129.51	34.06	-	10.83	134.18	9.57	31.81	909.06		
6	FORTH	1271.30	120.06	21.73	1129.51	34.06	-	10.83	134.18	9.57	31.81	909.06		
7	FIFTH	1271.30	120.06	21.73	1129.51	34.06	-	10.83	134.18	9.57	31.81	909.06		
8	SIXTH	1271.30	120.06	21.73	1129.51	34.06	-	10.83	134.18	9.57	31.81	909.06		
9	SEVENTH	1271.30	120.06	21.73	1129.51	34.06	-	10.83	134.18	9.57	31.81	909.06		
10	EIGHTH	1271.30	120.06	21.73	1129.51	34.06	-	10.83	134.18	9.57	31.81	909.06		
11	NINTH	1271.30	120.06	21.73	1129.51	34.06	-	10.83	134.18	9.57	31.81	909.06		
12	MUMTY/ STAIR	100			100									
13	TOTAL	15477.80			14201.70				1207.62	86.13	286.29	8385.92	172.89	165.71
									ADD EXTRA STORE =34.71 NET F.A.R. = (8385.92+34.71)=8420.63 Sq.mt.					

भवन मानचित्र समिति की बैठक दिनांक 28-4-15 में लिए गए निर्णय अनुसार एवं अ.वि.प्रा. के पत्र क्रमांक अ.वि.प्रा./अ.मा.स./प-3/14/ 1617-20 दिनांक 14-9-15 में दी गई शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की गई।
नोट: उक्त स्वीकृति प्लान स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है।

नगर सुधार न्यास स्वीकृति क्रमांक 1617-20 दिनांक 14-9-15 अजमेर (रा.ज.)

निदेशक (आयोजना)

सहायक नगर नियोजक
अ.वि. प्राधिकरण, अजमेर

दीप्ति शर्मा
उपायुक्त
अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

SCALE = 1:150

PROJECT :-	LAYOUT PLAN OF RESIDENTIAL PLOTS ON KHASARA NO. 834,835 & 836 REVENUE VILLAGE LOHAGAL, AJMER. (RAJ.) PUT UP BY :- SHRI SATISH BANSAL S/o P.L BANSAL , SHRI SURAJ AGARWAL , RAMESH KUAMR AGARWAL S/o DR. PUNAM CHAND , SHRI SAILESH BANSAL W/o SHRI SATISH BANSAL .
OWNER	
ARCHITECT :-	SPACE GRID C-49,VIDYA APPT.,BAPU NAGR, JAIPUR.PH-09314918766,09314510603

(3)

SHEET NO-03

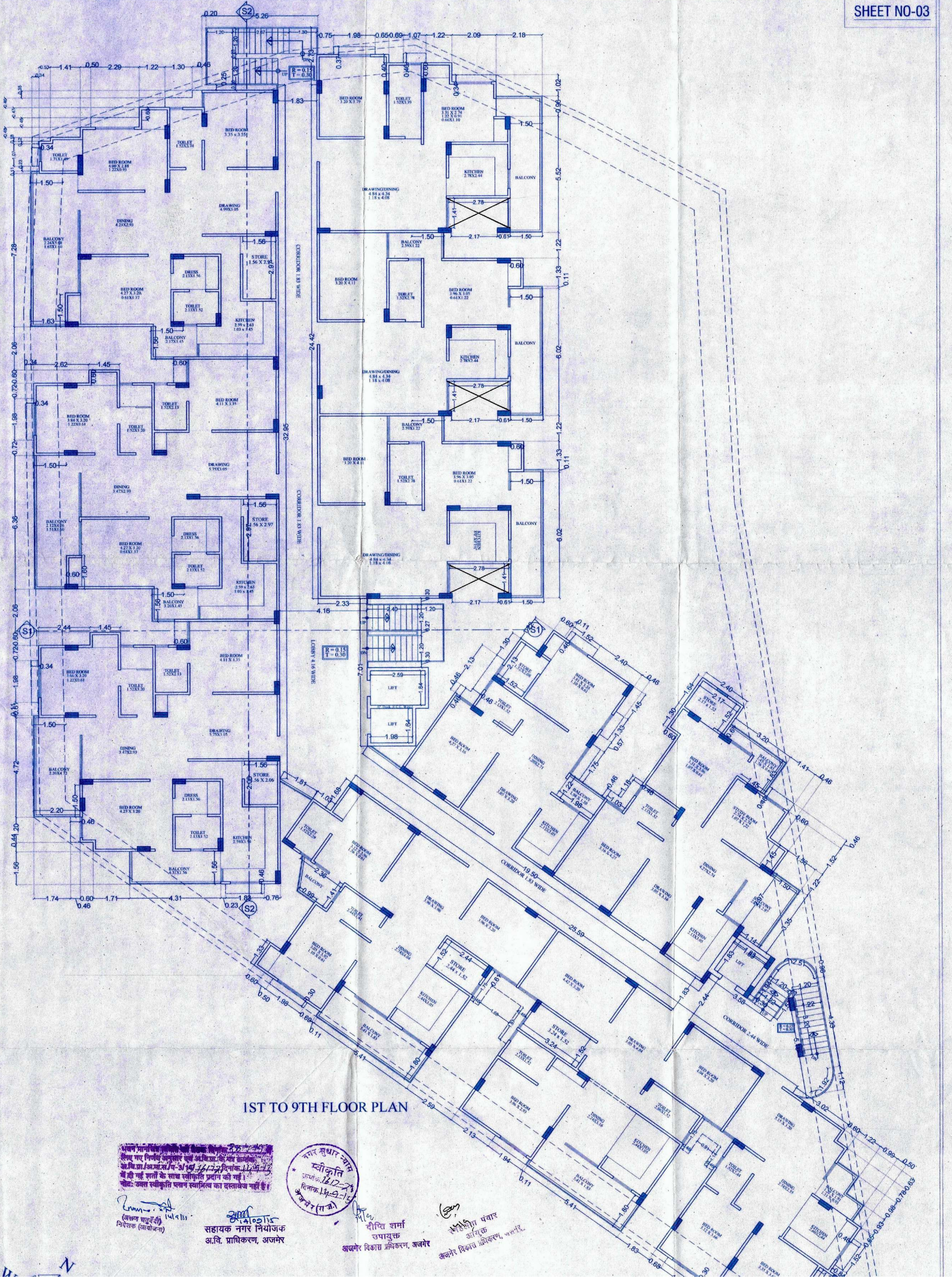

1ST TO 9TH FLOOR PLAN

भवन मानचित्र [illegible] दिनांक 28-7-15 में
लिए गए निर्णय अनुसार एवं अ.वि.प्रा. के पत्र क्रमांक
अ.वि.प्रा./अ.मा.स./प-3/15/16177 दिनांक 14.9.15
में दी गई शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की गई।
नोट: उक्त स्वीकृति प्लान स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है।

नगर सुधार न्यास
स्वीकृति
क्रमांक 1612-2
दिनांक 14.9.15
अजमेर (राज.)

(अरुण चतुर्वेदी) 14/9/15
निदेशक (आयोजना)

14/09/15
सहायक नगर नियोजक
अ.वि. प्राधिकरण, अजमेर

14/9
दीप्ति शर्मा
उपायुक्त
अजमेर विकास प्रधिकरण, अजमेर

14/9
[illegible] पंवार
आयुक्त
अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

SHEET NO-07

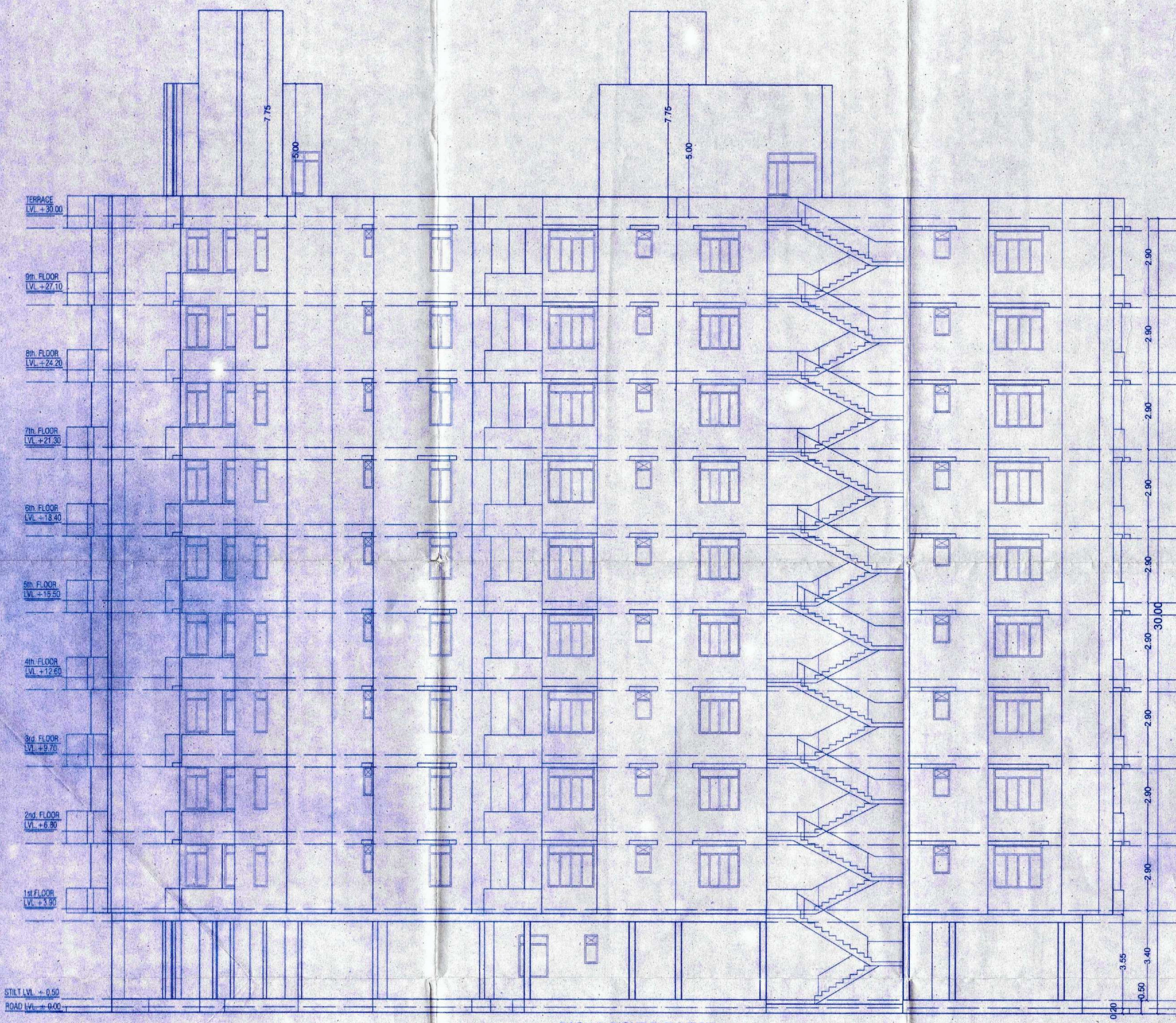

BACK & RIGHT ELEVATION

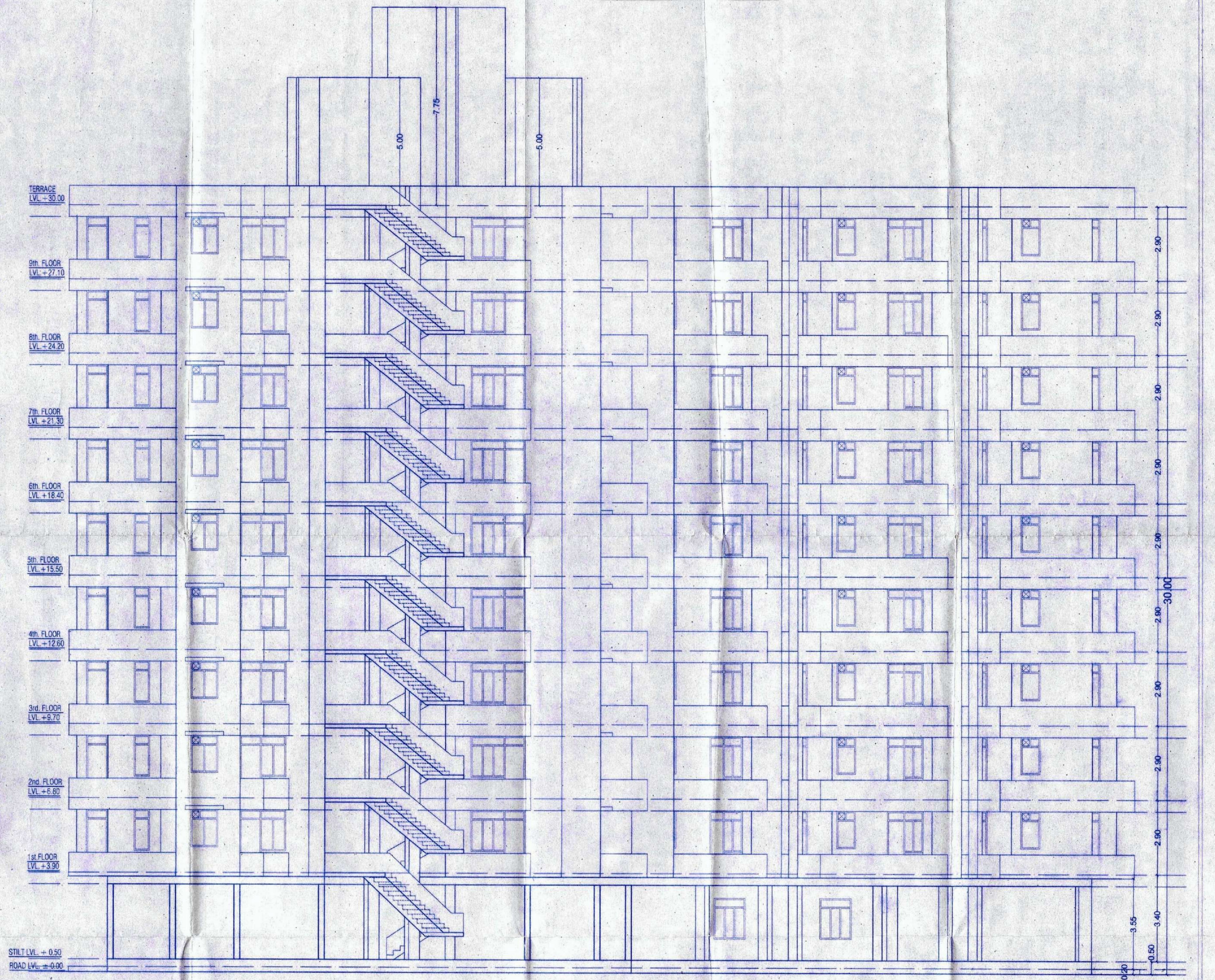

RIGHT & BACK ELEVATION

दीप्ति शर्मा
उपायुक्त
अजमेर विकास प्रधिकरण, अजमेर

(अरुण चतुर्वेदी)
निदेशक (आयोजना)

सहायक नगर नियोजक
अ.वि. प्राधिकरण, अजमेर

आयुक्त
अजमेर विकास प्रधिकरण, अजमेर

SCALE = 1:100

PROJECT :- LAYOUT PLAN OF RESIDENTIAL PLOTS ON KHASARA NO. 834,835 & 836 REVENUE VILLAGE LOHAGAL, AJMER. (RAJ.) PUT UP BY :- SHRI SATISH BANSAL S/o P.L BANSAL , SHRI SURAJ AGARWAL , RAMESH KUAMR AGARWAL S/o DR. PUNAM CHAND , SHRI SAILESH BANSAL W/o SHRI SATISH BANSAL .	OWNER	ARCHITECT :- SPACE GRID C-49,VIDYA APPT.,BAPU NAGR, JAIPUR.PH-09314918766,09314510603

SHRI KRISHAN ARCHITECT CA/99/2545

SHEET NO-04

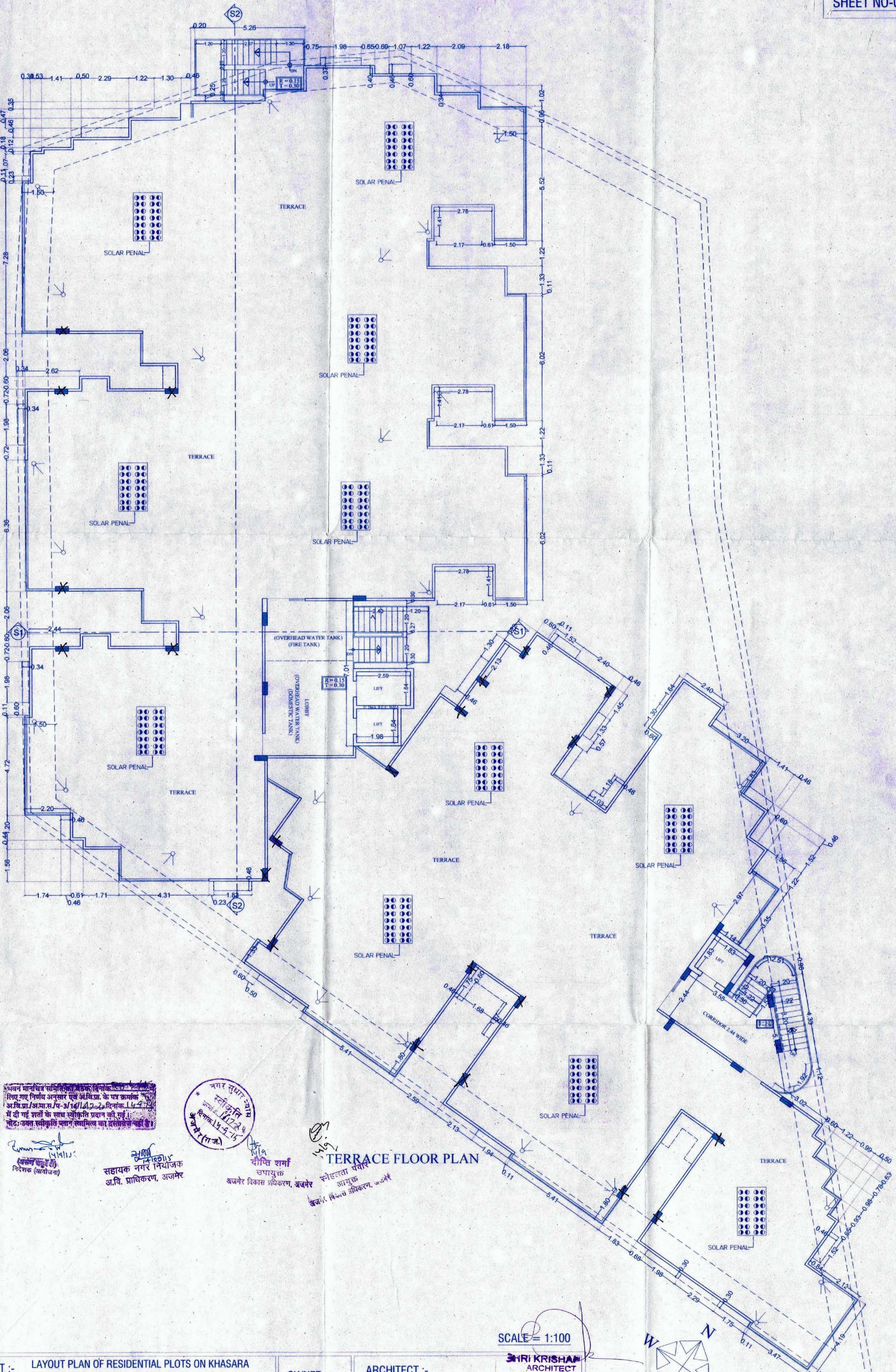

TERRACE FLOOR PLAN

भवन मानचित्र समिति की बैठक दिनांक .... में लिए गए निर्णय अनुसार एवं अ.वि.प्रा. के पत्र क्रमांक अ.वि.प्रा./अ.भा.स./प-3/14/1617-20 दिनांक 14.9.15 में दी गई शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की गई।
नोट: उक्त स्वीकृति प्लान स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है।

14/9/15
(अरुण चतुर्वेदी)
निदेशक (आयोजना)

14/09/15
सहायक नगर नियोजक
अ.वि. प्राधिकरण, अजमेर

नगर सुधार न्यास
स्वीकृति
क्रमांक 1617-20
दिनांक 15-9-15
अजमेर (रा.ज.)

14/9
दीप्ति शर्मा
उपायुक्त
अजमेर विकास प्रधिकरण, अजमेर

14/9
स्नेहलता पंवार
आयुक्त
अजमेर विकास प्रधिकरण, अजमेर

SCALE = 1:100

PROJECT :- LAYOUT PLAN OF RESIDENTIAL PLOTS ON KHASARA NO. 834,835 & 836 REVENUE VILLAGE LOHAGAL, AJMER. (RAJ.) PUT UP BY :- SHRI SATISH BANSAL S/o P.L BANSAL , SHRI SURAJ AGARWAL , RAMESH KUAMR AGARWAL S/o DR. PUNAM CHAND , SHRI SAILESH BANSAL W/o SHRI SATISH BANSAL .

OWNER

ARCHITECT :-
SHRI KRISHAN
ARCHITECT
CA/99/2545

SPACE GRID
C-49,VIDYA APPT.,BAPU NAGR,
JAIPUR.PH-09314918766,09314510603

SHEET NO-05

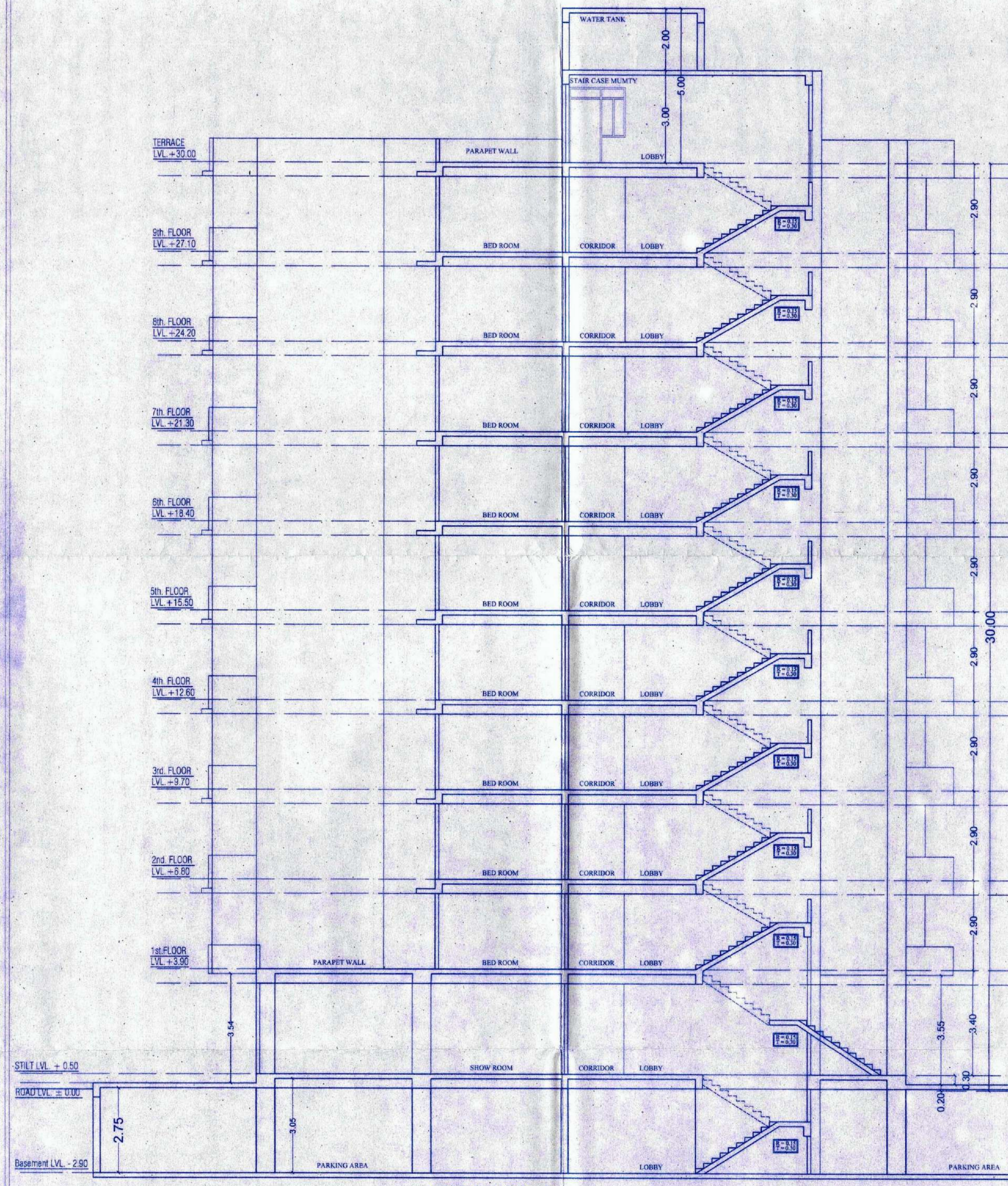

SECTION AT S1-S1

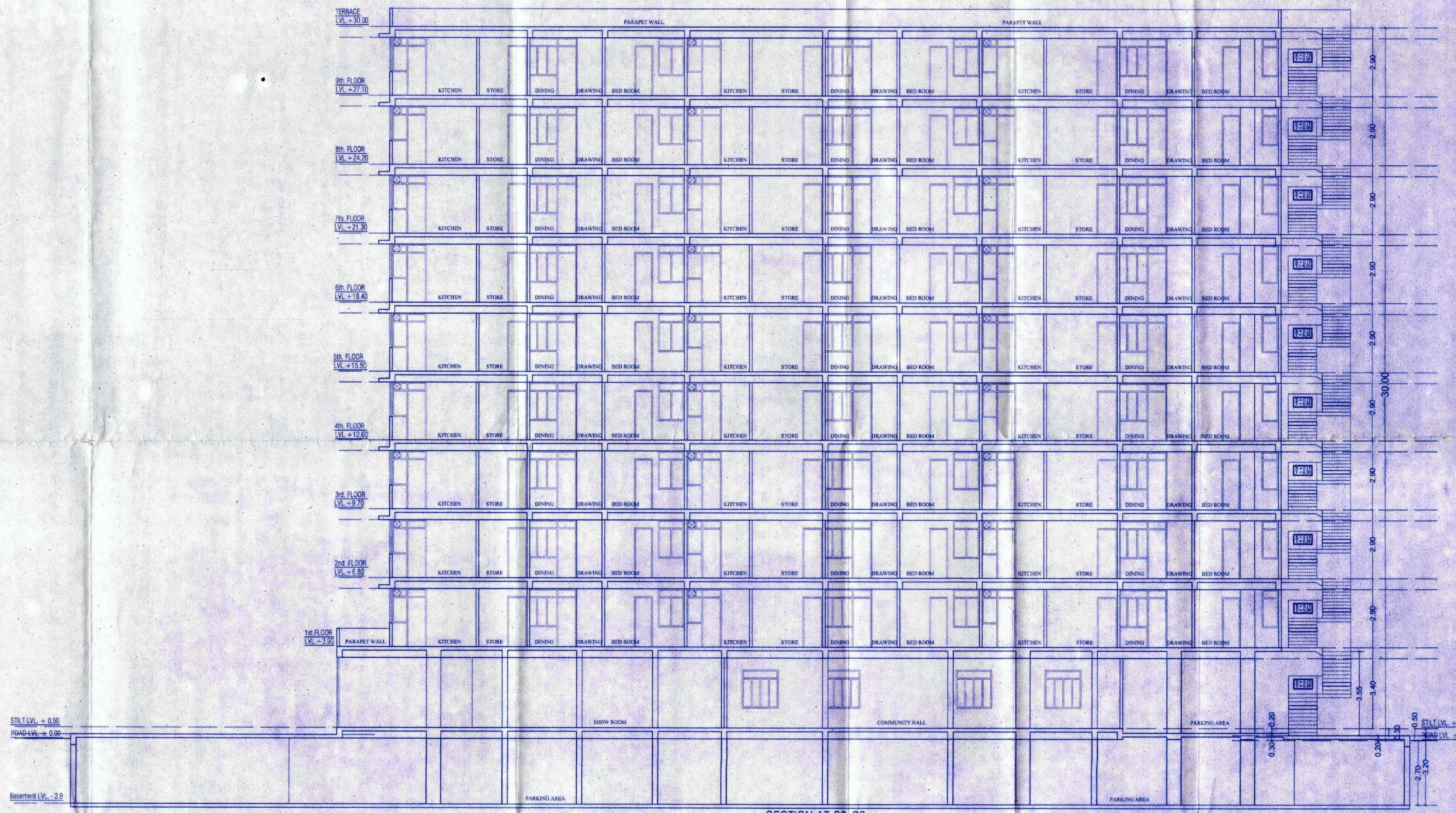

SECTION AT S2-S2

भवन मानचित्र समिति की बैठक दिनांक 28-4-15 में
लिए गए निर्णय अनुसार एवं अ.वि.प्रा. के पत्र क्रमांक
अ.वि.प्रा./अ.मा.स./प-3/19/16122 दिनांक 14-9-15
में दी गई शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की गई।
नोट: उक्त स्वीकृति प्लान स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है।

नगर सुधार न्यास
स्वीकृति
क्रमांक 16122-20
दिनांक 14/9/15
अजमेर (राज.)

सहायक नगर नियोजक
अ.वि. प्राधिकरण, अजमेर

दीप्ति शर्मा
उपायुक्त
अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

(अरुण चतुर्वेदी)
निदेशक (आयोजना)

SCALE = 1:100

PROJECT :-	LAYOUT PLAN OF RESIDENTIAL PLOTS ON KHASARA NO. 834,835 & 836 REVENUE VILLAGE LOHAGAL, AJMER. (RAJ.) PUT UP BY :- SHRI SATISH BANSAL S/o P.L BANSAL , SHRI SURAJ AGARWAL , RAMESH KUAMR AGARWAL S/o DR. PUNAM CHAND , SHRI SAILESH BANSAL W/o SHRI SATISH BANSAL .	OWNER	ARCHITECT :- SPACE GRID C-49,VIDYA APPT.,BAPU NAGR, JAIPUR.PH-09314918766,09314510603

SHRI KRISHAN
ARCHITECT
CA/99/2545

SHEET NO-06

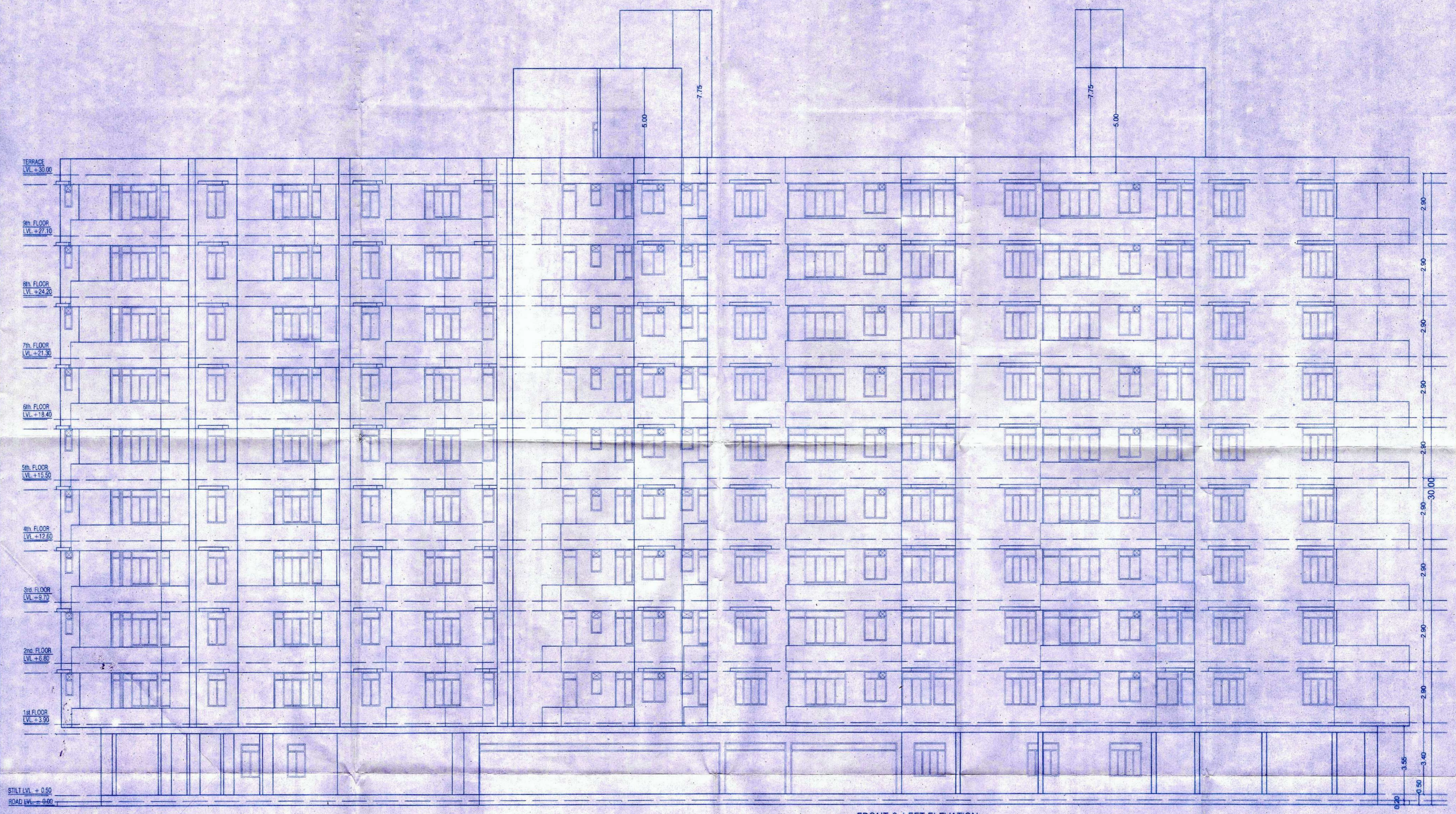

FRONT & LEFT ELEVATION

भवन मानचित्र समिति की बैठक दिनांक 28-4-15 में लिए गए निर्णय अनुसार एवं अ.वि.प्रा. के पत्र क्रमांक अ.वि.प्रा./अ.मा.स./प-3/15/ दिनांक 14-9-15 में दी गई शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की गई।
नोट: उक्त स्वीकृति प्रदान स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है।

नगर सुधार न्यास स्वीकृति क्रमांक 1612-28 दिनांक 14-9-15 अजमेर (राज.)

दीप्ति शर्मा
उपायुक्त
अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

(अरुण चतुर्वेदी)
निदेशक (आयोजना)

सहायक नगर नियोजक
अ.वि. प्राधिकरण, अजमेर

अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

SCALE = 1:100

PROJECT :-	OWNER	ARCHITECT :-
LAYOUT PLAN OF RESIDENTIAL PLOTS ON KHASARA NO. 834,835 & 836 REVENUE VILLAGE LOHAGAL, AJMER. (RAJ.) PUT UP BY :- SHRI SATISH BANSAL S/o P.L BANSAL , SHRI SURAJ AGARWAL , RAMESH KUAMR AGARWAL S/o DR. PUNAM CHAND , SHRI SAILESH BANSAL W/o SHRI SATISH BANSAL .		SPACE GRID C-49,VIDYA APPT.,BAPU NAGR, JAIPUR.PH-09314918766,09314510603 SHRI KRISHAN ARCHITECT CA/99/2546